

भारतीय रुपया न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

TEN
RUPEES




INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AC 103065



प्रारूप 26
(नियम 4 के देखिये)



12. गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन क्षेत्र का नाम

लोकसभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र ।

भाग - क

मैं संजीव कुमार **युत्र/मुमी/पत्नी श्री प्रीतम सिंह आयु 40 वर्ष, जो डी०-२०४, न्यू गांधी
नगर, गाजियाबाद (डाक का पूरा पता) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कस्ती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/-कस्ती
हूँ :-

~~स्वतंत्र (निर्दलीय) (**सञ्जनैतिक दल का नाम) द्वासा खड़ा किया गया~~
~~अभ्यर्थी, **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।~~
~~(**जो लागू न हो उसे काट दे)~~

(2) मेरा नाम गाजियाबाद, उ०प्र० (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 328 के
क्रम संख्या 1272 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 9711545494 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो
तो) शून्य है।

(4) रथाई लेखा संख्यांक (पैन) के बौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्र०सं०		नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वर्य	संजीव कुमार	AHCPB3707C	2012-13	5,25,824.00
2	पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित— 1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित— 2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित— 3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं। **लागू नहीं**

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं। **लागू नहीं**

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लागू नहीं
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराये) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे।	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं।	लागू नहीं

[Signature]

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लभित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है : [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] : लागू नहीं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश के तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है :

यदि अभिसाक्षी उर्पयुक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हो तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथ्मिति	लागू नहीं

(7) में, मेरी फस्ते/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी :-

- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- जमा/विनिधान की दिषा में क्रम सं0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और घाँटा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।
- सूचीबद्ध-कंपनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/घेर डिबेंचर का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दिषा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिये।
- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण 5 में है।
- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्र0सं 0	विवरण	स्वयं	पत्नी का नाम	आश्रित -1 का नाम	आश्रित -2 का नाम	आश्रित -3 का नाम
(i)	नकदी हाथ में	रु0 60,000 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं। वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी, वित्तीय कम्पनियों तथा सहकारी सोसाइटियों के जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 00800100022088, रु0 10,528 / केनरा बैंक, खाता संख्या 2168101023165, रु0 1000 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेन्चरों/घेरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और बीमा कम्पनियों में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	बीमा एक वर्ष का कुल प्रीमियम रु0 99,781 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण / अग्रिम तथा ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/ याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन, और मूल्यवान वस्तु (वस्तुयों) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तिया जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹0 1,71,309/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी :-

- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिये।

* विवरण	स्वयं	पत्ती का नाम	आश्रित -1 का नाम	आश्रित -2 का नाम	आश्रित -3 का नाम
कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्यायें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई सम्पत्ति है ? (हॉ / नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्रय के समय भूमि की लम्गत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृशि भूमि स्थिति (स्थितियों) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याये)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है? (हॉ / नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लम्गत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थित (अवस्थितिया सर्वेक्षण संख्याक (संख्याये)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है? (हॉ / नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वार्जित संपति की दषा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यायाँ)	एक फ्लैट सं0 ओ-1002, पैनओयेसिस, सै0 70, नोएडा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1600 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1600 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है? (हाँ / नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिकृत संपति की दृश्य में क्रय की तारीख	29.11.2009	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दषा में)	28,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	55,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	उक्त (i) से (v) तक कुल चालू बाजार मूल्य	55,00,000/-				

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को घोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ : -

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र0सं 0	विवरण	रवंय	पत्ति-आ पत्ती	आश्रित — 1 का नाम	आश्रित — 2 का नाम	आश्रित — 3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या घोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाय को ऋण या घोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी घोध्य : सरकारी आवास बरतने वाले विभागों को घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जलसाधारूपति से बरतने वाले विभाग को घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिल्हात विभाग से बरतने वाले विभाग को घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकोप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य घोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी घोध्य का कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

योग						
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है। यदि हॉ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं : व्यवसाय

ख. मस्ति या पत्नी : शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, ब्यौरा दे)।

एम०पी०एड० स्नाकोत्तर, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर, वर्ष 1997 में पूर्ण किया, हाईस्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, वर्ष 1988।

भाग - ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरे का उद्धधरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुण्ड संजीव कुमार
2	डाक का पूरा पता	डी० – 204, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	56, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
4	ऐसे शाजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र (निर्दलीय)
5	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दूरनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या	शून्य

	उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ]					
7 का लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई	कुल दर्शित आय			
	क. अभ्यर्थी संजीव कुमार AHCPB3707C	2012-13	रु0 5,25,824 /			
	ख. मसि या पत्नी : शून्य	शून्य	शून्य			
8 आस्थियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)						
क्र0सं0	विवरण	रुपये	मसि या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,71,309 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां					
	(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	28,00,000 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो) की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	55,00,000 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	29,71,309 /	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी घोष्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	से ऋण (कुल)				
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है				
	(i) सरकारी धोध्य कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. उच्चतम धैर्यक अर्हता :

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विष्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, ब्यौरा दे।



एस0पी0एड0 स्नाकोत्तर, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर, वर्ष 1997 में पूर्ण किया, हाईस्कूल,
क्रन्तिया साध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, वर्ष 1988।

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि
इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और
सही है, और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी तात्त्विक तथ्य छुपाया नहीं
गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 व 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला
या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे मत्ति या पत्ती व मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 व 8 तथा भाग ख
की मद 8,9 व 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं
है।

आज तारीख 22.03.2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

ATTESTED

नोट :

MANOJ KUMAR
Advocate & Notary
Govt. of India

22 MAR 2014

1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को अधिकतम 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिये।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिये।
3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिये और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के लिये कोई जानकारी नहीं है तो या यथास्थिति 'शून्य' या 'लागू नहीं' उल्लेखित किया जाना चाहिये।
4. शपथ पत्र या अंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-2 लिखित होना चाहिये।

नोट 5. अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय कर रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की संख्या 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13.9.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हुये हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने सह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य', 'लागू नहीं होता या ज्ञात नहीं है, जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।

शपथ पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिये। मेरा टेलीफोन नं० 9711545494 हैं/है। मेरा ई-मेल आई डी० (यदि कोई हो) शून्य है। और मेरा सोशल मिडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) फेसबुक एकाउन्ट शून्य है।